राजस्थान सरकार
राजस्थान हॉर्टीकल्चर एण्ड नर्सरी सोसायटी "राजहंस"
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.11(44)राजहंस/पौध वितरण/दिशा–निर्देश/2016–17/631-702 दिनांकः 13/7/16

1. सदस्य सचिव, DHDS एवं उप निदेशक उद्यान, समस्त

2. सदस्य सचिव, DHDS एवं सहायक निदेशक उद्यान, समस्त

3. नर्सरी मैनेजर, राजहंस इकाई, समस्त

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में फलदार पौधों की वितरण व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में फलदार बगीचों की स्थापना की जानी है जिसमें पौधें वितरण/प्राप्ति के मुख्य–मुख्य निर्देश निम्न प्रकार होगें, निर्देशों का पालन किया जाकर योजना के लक्ष्यों के अनुरूप शत–प्रतिशत प्राप्ति किया जाना सुनिश्चित करावें।

1. राजहंस इकाईयों, राज्य एवं राज्य के बाहर की अनमोदित नर्सरियों पर उपलब्ध फलदार पौधों का वितरण ही कृषकों को किया जावेगा। विभिन्न राजहंस इकाईयों पर उपलब्ध फलदार पौधों की उपलब्धता विभागीय वेबसाइट www.horticulture.rajasthan.gov.in पर अद्यतन होगी।

2. राजहंस इकाईयों पर उपलब्ध फलदार पौधों का वितरण विभाग द्वारा निर्धारित दरों (सलंग्न परिशिष्ठ 1)पर किया जावेगा, जिसमें पौधों का बिल संबंधित जिला कार्यालय के नाम होगा, राजहंस इकाई से ही संबंधित जिलाधिकारी अपना कार्यालय प्रतिनिधि यथा संभव सहायक कृषि अधिकारी को भेजकर विभागीय मापदण्ड अनुसार पौधे प्राप्त करेगा। राजहंस इकाई से पौधे लोडिंग व्यय संबंधित नर्सरी मैनेजर (आपूर्ति कर्ता) द्वारा किया जावेगा।

3. राजहंस इकाई से पौधों के परिवहन हेतु व्यवस्था संबंधित कार्यालय (जिसकों पौधों की आवश्यकता है।) के स्तर से ही की जावेगी। नर्सरी मैनेजर व्यवस्था में सहयोग करेगें।

4. संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी राजहंस इकाई से पौधें प्राप्त करने से पूर्व संबंधित नर्सरी मैनेजर से पौधें आरक्षित करवाकर निर्धारित समय एवं तय तिथी पर पौधें लेने हेतु अपना तकनिकी प्रतिनिधि भेजे ताकि, पौधों के लदान/प्रतिनिधि का अनावश्यक समय नष्ट न हो। नर्सरी मैनेजर्स पौधें आपूर्ति से पूर्व पौधों की शिफ्टिंग/हार्डनिंग कर संलग्न विभागीय मापदण्ड **परिशिष्ट–2** अनुसार होने पर ही पौधों की आपूर्ति करेगें।इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बंधित नर्सरी मैनेजरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. राजहंस इकाईयों से ट्रक में पौधें लोडिंग का व्यय संबंधित राजहंस इकाई द्वारा वहन किया जावेगा। पौधें लेने वाले कर्मी को यह पूर्ण हिदायत देवें कि पौधें मापदण्ड अनुसार प्राप्त करें तथा बिल के पीछे यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावें कि पौधें मापदण्ड अनुसार स्वस्थ अवस्था में प्राप्त किये गये। पौधें प्राप्ति के उपरांत जिला स्तर पर मोर्टेलिटी होने पर राजहंस की जिम्मेदारी नहीं होगी। जिला प्रतिनिधि द्वारा राजहंस से प्राप्त पौधों का भुगतान करना होगा।

6. निजी अनुमोदित पौधशालाओं से आपूर्तित किये जाने वाले अमरूद, बीलपत्र एवं संतरा के पौधों की जिला स्तर पर प्राप्ति हेतु दो सदस्यीय कमेटी, जिसमें संबंधित नर्सरी मैनेजर शामिल हो तथा एक सदस्य कम से कम कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी न होने की स्थिति में सहायक कृषि अधिकारी हो, का गठन कर मापदण्डानुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।

7. राज्य एवं राज्य के बाहर से निजी पौधशालाओं से प्राप्त होने वाले पौधों का बिल संबंधित राजहंस इकाई के नाम होगा **(जिलेवार विवरण सलंग्न परिशिष्ठ–3 अनुसार)**। राजहंस इकाई द्वारा स्वस्थ